पत्रांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, (ले॰ एवं ह॰), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक

विषयः– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी–ऑन–सोन में साइकिल / मोटर साइकित स्टैंड के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 7,51,300=00 (सात लाख इक्यावन हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9666, दिनांक 01.11.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा द्वारा प्रदत्त तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी–ऑन–सोन में साइकिल / मोटर साइकित स्टैंड के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 7,51,300=00 (सात लाख इक्यावन हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 03–4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, सासाराम को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट / प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम होगें।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, सासाराम से की जायेगी।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। प्राचार्य द्वारा उक्त कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार उक्त राशि के निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी–ऑन–सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (IV) यो॰–60 / 2019– 4358 / पटना, दिनांक 30/12/019

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त निदेशक (एम॰) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/19
सरकार के उप सचिव